पीएच.डी. प्रवेश हेतु सूचना

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों के प्रारंभिक परीक्षण के आधार पर यह देखा गया है कि कुछ अभ्यर्थियों ने नेट (NET) प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं, जो आवेदन के समय के ठीक पिछले वर्ष से सम्बन्धित नहीं हैं | यूजीसी अधिसूचना (No.F.4-1(UGC-NET Review Committee)/2024(NET)/140648 March 27, 2024/7चैत्र 1946) के अनुसार, पीएच.डी. प्रवेश हेतु निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार, नेट (NET) **में प्राप्त अंक पीएच.डी. प्रवेश के लिए एक वर्ष की अवधि तक मान्य होंगे।**

यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के 27 मार्च 2024 के पत्र (No.4-1(UGC-NET Review Committee)/2024 (NET)/140648) की तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार;

श्रेणी	**अर्ह**
Qualified for निम्नलिखित हेतु योग्य	Ph.D. Admission पीएच.डी. में प्रवेश हेतु योग्य
Category 1- Award of JRF and appointment as Assistant Professor श्रेणी–1 : जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) एवं सहायक प्राध्यापक पद पर	YES हाँ /अर्ह
Category 2- Appointment as Assistant Professor and admiss Ph.D. श्रेणी–2 : सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति एवं पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश	YES हाँ /अर्ह
Category 3 – Admission to Ph.D श्रेणी–3 पीएच.डी. में नामांकन	YES हाँ /अर्ह

"श्रेणी 2 और 3 के उम्मीदवारों द्वारा नेट (NET) में प्राप्त अंक पीएच.डी. प्रवेश के लिए एक वर्ष की अवधि तक मान्य होंगे"।

निदेशक, शोध
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे प्रपत्र सत्यापन एवं साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित होने से पूर्व अपनी पात्रता का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर लें। यदि पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पर आगामी चरणों हेतु विचार नहीं किया जा सकता है।

जिन अभ्यर्थियों ने नेट (NET) परीक्षा पूर्व वर्षों में उत्तीर्ण की है, वे वर्तमान प्रवेश मानदंडों के अनुसार अपनी पात्रता की पुष्टि अवश्य कर लें। संदर्भ की सुविधा हेतु, पात्रता मानदंड नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता

5.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत पीएच.डी. प्रवेश संबंधी विनियमों के आधार पर, विश्वविद्यालय में पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा UGC-NET/CSIR-NET/GATE/ICAR-NET/ICMR-NET अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त स्कोर को प्रवेश का आधार बनाया जायेगा। यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के 27 मार्च 2024 के पत्र (No.4-1(UGC-NET Review Committee)/2024 (NET)/140648) की तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार-

श्रेणी	अर्ह
Qualified for निम्नलिखित हेतु योग्य	Ph.D. Admission पीएच.डी. में प्रवेश हेतु योग्य
Category 1- Award of JRF and appointment as Assistant Professor श्रेणी–1 : जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) एवं सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति, पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश	YES हाँ /अर्ह
Category 2- Appointment as Assistant Professor and admission to Ph.D. श्रेणी–2 : सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति एवं पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश	YES हाँ /अर्ह
Category 3 – Admission to Ph.D श्रेणी–3 पीएच.डी. में नामांकन	YES हाँ /अर्ह

निदेशक, शोध
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

5.2 राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (National Eligibility Test) का परिणाम जो कि प्रतिशतांक (Percentile) के रूप में घोषित होता है को पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु मानदंड के रूप में लिया जाएगा। श्रेणी 1 अर्थात् जे० आर० एफ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा | साक्षात्कार कुल 30 अंकों का होगा | अतः जे० आर० एफ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में 100 प्रतिशत भारांक प्रदान किया जायेगा | तीनों श्रेणी में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की परीक्षा नीति के अनुरूप साक्षात्कार में न्यूनतम 35 प्रतिशत अर्थात् न्यूनतम 11 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा | जे० आर० एफ अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु प्राथमिकता प्रदान की जायेगी |

श्रेणी 02 और 03 में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अंतिम श्रेष्ठता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार करने हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों के राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रतिशतांक को 70% का भारांक प्रदान किया जाएगा तथा साक्षात्कार को 30% का भारांक/महत्त्व प्रदान किया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 70% भारांक और साक्षात्कार के 30% भारांक को सम्मिलित कर तैयार की जाएगी, तथा अंकों को दो दशमलव स्थान तक लिया जाएगा। पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के समतुल्य पैमाने से अर्जित अंक और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार की गई अंतिम श्रेष्ठता सूची के माध्यम से किया जाएगा।

श्रेणी 2 और 3 के उम्मीदवारों द्वारा NET में प्राप्त अंक पीएच.डी. प्रवेश के लिए एक वर्ष की अवधि तक मान्य होंगे।

पीएच.डी. हेतु उपलब्ध सीटों का आवंटन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार प्रवेश नहीं लेता है, तो श्रेष्ठता (मेरिट) सूची में क्रमानुसार अगले योग्य उम्मीदवार को प्रवेश के लिए बुलाया जाएगा। यदि कोई चयनित आवेदक निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश नहीं लेता है, तो श्रेष्ठता (मेरिट) सूची में अगले योग्य आवेदक को प्रवेश के लिए बुलाया जाएगा।

यदि किसी आरक्षित सीट के लिए कोई उम्मीदवार आवेदन नहीं करता है, तो वह सीट प्रवेश के लिए निर्धारित नीति के अनुसार अन्य श्रेणियों को आबंटित की जाएगी और प्रवेश निर्धारित श्रेष्ठता (मेरिट) सूची के आधार पर दिया जाएगा।

श्रेष्ठता (मेरिट) सूची तैयार करने के लिए औसत अंकों को दशमलव के दो (02) स्थानों तक प्रदर्शित किया जाएगा। श्रेणी 2 एवं 3 हेतु श्रेष्ठता (मेरिट) सूची तैयार करने हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एवं साक्षात्कार—दोनों के अंकों को सम्मिलित किया जाएगा।

5.3 विश्वविद्यालय उपलब्ध पीएच.डी. सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले पात्र अभ्यर्थियों की संख्या तय कर सकता है।

5.4 पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश यूजीसी और अन्य संबंधित वैधानिक / नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए और केंद्र / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति का पालन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित मानदंडों पर आधारित होगा।

5.5 अभ्यर्थियों की शोध अभिरुचि / क्षेत्र पर चर्चा के लिये एक विधिवत् साक्षात्कार समिति गठित की जाएगी। यह समिति अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं साक्षात्कार का मूल्यांकन करेगी।

निदेशक, शोध
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)